(b) 26 additional posts for correspondence courses were sanctioned, none of which was specifically created for Bangla.

(c) Yes, Sir. Because of non-availability of Bangla knowing qualified staff, Diploma course had to be discontinued.

(d) Allocation of funds is made for correspondence courses on consolidated basis, and not medium-wise.

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा विभिन्न संगठनों को प्रदान किये गये अनुदान

3235. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और दिल्ली समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये विभिन्न संगठनों को अलग-अलग कुल कितनी राशि के अनुदान प्रदान किये गये और इन संगठनों का कुल संख्या, नाम पते तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त संगठनों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रम संबंधी केन्द्रों के नाम पते तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) ऐसे कितने संगठन हैं जिनके अनुदानों संबंधी आवेदन पत्रों को उन पर विचार किये बिना ही नामंजूर कर दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी ।

दिल्ली महिला कल्याण समिति के लिए अनुदान

3236. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली महिला कल्याण समिति को केन्द्रीय कल्याण समिति बोर्ड कल्याण मंत्रालय और अन्य स्थानीय निकायों से अलग अलग तथा कार्यक्रमवार कितनी राशि के अनुदान प्राप्त हुए और उक्त संस्था द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत चलाये जा रहे केन्द्रों के नाम, पते तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) उक्त संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा गत पांच वर्षों के दौरान इसके भिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय क्या हैं तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उक्त संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित हुए व्यक्तियों के नाम, पते और आयु क्या हैं और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात 1983-84 से 1987-88 तक दिल्ली महिला कल्याण समिति को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) दिल्ली महिला कल्याण समिति के पदाधिकारियों के नाम, पते और व्यवसाय अनुबन्ध में दिये गये हैं । 1983-84 से पूर्व केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों के नाम, पते और उनकी आयु संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) कल्याण मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है ।